



# कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 699 / 12-1 (1)

दिनांक, देहरादून, अगस्त 03, 2015

प्रभागीय वनाधिकारी,

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी ।

जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कालीगाड़) से नालीकला मोटर मार्ग कुल लम्बाई 11.425 कि0मी0 के निर्माण हेतु 9.194 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु हेतु ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को वन भूमि प्रत्यावर्तन स्वीकृति। F.P./V.K./ ROAD/ 13657/2015 आपका पत्रांक 496/ 12-1 दिनांक 10-8-2015

विषय:-

सन्दर्भ:-  
महोदय,

आपके स्तर से भेजे गये विषयांकित प्रस्ताव का परीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया निम्न कमियां पायी गई हैं, जिनका विवरण बिन्दुवार है:-

1- भाग-2 प्रपत्र जो हिन्दी में उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है, के कालम संख्या 7 (6) में हरियाली का घनत्व 0.3-0.7 दिया गया है तथा अंग्रेजी का प्रपत्र भाग-2 में हरियाली घनत्व 0.7 दिया गया है। इसलिए हरियाली का घनत्व .....से ....तक न देकर विशिष्ट रूप से दिया जाय।  
2- भाग-2 हिन्दी प्रपत्र के कॉलम संख्या 7 (7) में कुल बाधित वृक्षों की संख्या 916 बतायी है तथा जिसमें 0-10 ब्यासवर्ग के 86 वृक्ष सम्मिलित है जिनको प्रजाति वार संाराश में उल्लेख नहीं गया है। शेष 827 वृक्ष 10-20 ब्यासवर्ग से ऊपर सूचित किये गये हैं। 916 कुल में से 0-10 ब्यासवर्ग के 86 वृक्षों की संख्या को घटाकर शेष 827 की संख्या में भी विभेद है, जिसको शुद्धिकरण किया जाना है। 0-10 ब्यासवर्ग के वृक्षों को प्रस्तावक विभाग के व्यय पर मार्ग के इर्द-गिर्द **Transplant** संबंधित क्षेत्र के वन कर्मियों तथा वनक्षेत्राधिकारी की देख-रेख में किये जाने हेतु प्रांकलन भी ऑन लाईन अपलोड करवाया जाय । इस संबंध में प्रस्तावक विभाग से **Transplant** किये जाने हेतु उनकी सहमति भी प्रमाण पत्र के रूप में संगत दस्तावेज ऑन लाईन अपलोड करवाया जाय।  
3-916 वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में बाधित हो रहे हैं। इस संबंध में बाधित वृक्षों की संख्या को न्यून किये जाने हेतु अन्य विकल्पों परभी विचार किया जाना चाहिए । प्रस्ताव के प्रपत्र -14 में अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यून होने संबंधी प्रमाण पत्र में आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 9.194 के स्थान पर 8.627 हेक्टर वन भूमि का उल्लेख किया गया है। उक्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र में वांछित वन भूमि का क्षेत्रफल सही किया जाय तथा मौके पर अन्य विकल्पों पर किये गये विचार के संबंध में तुलनात्मक विवरण बिन्दुवार दिया जाय ।

4-अंग्रेजी में भरा जाने वाला प्रपत्र भाग-2 के कालम -5 में प्रस्तावित मार्ग हेतु वांछित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य के संबंध में उक्त कक्ष संख्या को चीड़ कार्यवृत्त एवं संरक्षण कार्यवृत्त के अन्तर्गत पड़ना बताया गया है, जो पर्याप्त नहीं है। कार्य योजना में निर्दिष्ट निर्देश क्या है तथा उक्त कार्यवृत्त में गैर वानिकी कार्य किये जाने पर उसके प्रभाव व उसके उपचार के संबंध में निर्दिष्ट निर्देश के अनुसार टिप्पणी की जानी है, इस संबंध में देखा जाय।

5- वर्ष 1980 से वन भूमि पर विकास कार्य हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि के दुगने क्षेत्र से कम क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने पर भारत सरकार द्वारा इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा कर रही है तथा इस संबंध में असन्तोष भी व्यक्त किया जा रहा है। अतः इस संबंध में भली प्रकार परीक्षण करते हुए इस पर आख्या कवरिंग पत्र में दी जाय।

अतः भारत सरकार एवं नोडल अधिकारी के स्तर से जारी चैक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव का भली प्रकार परीक्षण करते हुए अतिरिक्त अभिलेख ई0डी0एस0 के माध्यम से कवरिंग पत्र में उल्लेख ऑन लाईन अपलोड करें तथा की गई कार्यवाही की हार्ड प्रति साथ-साथ भेजी जाय।

भवदीय,

( आर0के0मिश्र )

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
खण्ड, 6 इन्दिरा नगर, देहरादून को

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

( आर0के0मिश्र )

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।